रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-17112021-231210 CG-MH-E-17112021-231210

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] No. 576] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुम्बई, 17 नवम्बर, 2021

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

- सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/59.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- 2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, -
  - I. अनुसूची II निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात् –

6646 GI/2021 (1)

### "अनुसूची II

- (1) आवेदक या मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) उन मानदंडों को पूरा करेगा, जो ऐसे आवेदक या मध्यवर्ती पर लागू हों और जिनका जिक्र संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन) में किया गया हो, जिनमें शामिल हैं:
  - (क) वह बुनियादी सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और कार्यरत व्यक्तियों से संबंधित अपेक्षाओं के लिहाज से सक्षम और समर्थ हो; और
  - (ख) उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो, जिसमें शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करना शामिल है ।
- (2) 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंड निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे:
  - (क) आवेदक या मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) पर;
  - (ख) मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर), निदेशकों या प्रबंध भागीदारों (मैनेजिंग पार्टनर), अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजमेंट पर्सन) [फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो] पर; और
  - (ग) आवेदक या मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) रखने वाले संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) या व्यक्तियों पर अथवा आवेदक या मध्यवर्ती पर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों पर:

परंतु यह कि असूचीगत (अनिलिस्टिड) आवेदक या मध्यवर्ती के मामले में, बीस प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति (फिर चाहे उसका नियंत्रक हित हो या न हो अथवा वह नियंत्रण रखता हो या न रखता हो) के लिए यह जरूरी होगा कि वह 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंड पूरे करे ।

स्पष्टीकरण – इस उप-खंड के प्रयोजनार्थ, आवेदक या मध्यवर्ती के मामले में शब्दों "नियंत्रक हित" और "नियंत्रण" का अर्थ उस आवेदक या मध्यवर्ती पर लागू संबंधित विनियमों के अनुसार लगाया जाएगा।

- (3) यह तय करने के उद्देश्य से कि कोई व्यक्ति 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' है या नहीं, बोर्ड ऐसे किसी मानदंड पर विचार कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसमें नीचे दिए हुए मानदंड शामिल हैं किंतु जो इन तक ही सीमित नहीं हैं:
  - (क) उस व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, उसकी ईमानदारी, उसका नैतिक आचरण, उसकी साख, उसकी निष्पक्षता और उसका चरित्र;
  - (ख) वह व्यक्ति निम्नानुसार किसी भी प्रकार से अयोग्य न हुआ हो:
    - (i) बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) की धारा 154 के तहत आपराधिक शिकायत (क्रिमिनल कंप्लेंट) या सूचना दर्ज की गई हो और जो विचाराधीन हो;
    - (ii) किसी प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) एजेंसी द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में आरोप-पत्र (चार्ज शीट) दाखिल किया गया हो और जो विचाराधीन हो;

- (iii) बोर्ड या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) या प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) एजेंसी द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों (सिक्यूरिटीज लॉज़) या वित्तीय बाजारों से जुड़े किसी मामले में रोक लगाते हुए, प्रतिषिद्ध करते हुए या विवर्जित करते हुए कोई आदेश पारित किया गया हो और ऐसा आदेश अब भी लागू हो;
- (iv) बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वसूली कार्यवाहियाँ (रिकवरी प्रोसीडिंग्स) शुरू की गई हों और जो चल रही हों;
- (v) किसी न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के संबंध में आरोप साबित करते हुए कोई आदेश पारित किया गया हो;
- (vi) ऐसे व्यक्ति के खिलाफ परिसमापन (वाइंडिंग अप) की कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या परिसमापन का कोई आदेश पारित किया गया हो:
- (vii) ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया हो और जिसे बरी न किया गया हो;
- (viii) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया हो कि ऐसे व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह निष्कर्ष अब भी लागू हो;
- (ix) ऐसे व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाले / विलफुल डिफॉल्टर) की श्रेणी में रखा गया हो;
- (x) ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो; या
- (xi) अयोग्य होने की ऐसी कोई और शर्त आदि, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए ।
- (4) जहाँ बोर्ड के किसी आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति के बारे में यह घोषित किया जाए कि वह 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति उस आदेश में बताई गई अविध के दौरान या उस आदेश के लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों की अविध तक (यदि उस आदेश में ऐसी किसी अविध का जिक्र न किया गया हो) किसी भी रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रेशन) हेत् आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (5) मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन दाखिल करते समय, यदि आवेदक या खंड (2) में उल्लिखित किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ इन विनियमों के तहत या अधिनियम की धारा 11(4) या धारा 11ख(11बी) के तहत कार्यवाहियों के संबंध में कोई कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस) जारी की गई हो, तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने हेतु किए गए ऐसे किसी आवेदन पर, ऐसी सूचना (नोटिस) जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अविध तक या कार्यवाहियाँ पूरी हो जाने तक (जो भी पहले हो), विचार नहीं किया जाएगा।
- (6) यदि आवेदक या मध्यवर्ती का कोई सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) या उसकी कोई ग्रुप एंटिटी खंड (3) के उप-खंड (ख) के अनुसार अयोग्य हो, तो भी उसका अर्थ तब तक यह नहीं निकाला जाएगा कि आवेदक या मध्यवर्ती 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों पर खरे नहीं उतरते, जब तक कि आवेदक या मध्यवर्ती या खंड (2) में उल्लिखित कोई अन्य व्यक्ति भी उसी मामले में उसी तरह से अयोग्य न हो जाए:
  - परंतु यह कि यदि खंड (2) के उप-खंड (ख) में उल्लिखित कोई व्यक्ति 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो मध्यवर्ती को ऐसे व्यक्ति की जगह, इस प्रकार उसके अयोग्य हो

जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, कोई दूसरा व्यक्ति लाना होगा, और ऐसा न किए जाने पर 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों के संबंध में मध्यवर्ती के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी:

परंतु यह और कि यदि खंड (2) के उप-खंड (ग) में उल्लिखित कोई व्यक्ति 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी भी मताधिकार का प्रयोग न करे और यह कि ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार उसके अयोग्य हो जाने की तारीख से छह महीनों के भीतर अपनी धारिता (होल्डिंग) बेच दे, और ऐसा न किए जाने पर 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों के संबंध में ऐसे मध्यवर्ती के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी।

(7) 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंड रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करते समय लागू होंगे और जो रजिस्ट्रीकरण के मान्य रहने तक लागू रहेंगे, और मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि खंड (2) के उप-खंड (ख) तथा उप-खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों का पालन करें।"

अजय त्यागी. अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./440/2021-22]

#### पाद टिप्पण:

संशोधित हुए थे।

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538 द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-
  - क) 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
  - ख) 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा
  - ग) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
  - घ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा
  - ङ) 21 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/021, द्वारा
  - च) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
  - छ) 21 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/07, द्वारा
  - ज) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20, द्वारा
  - झ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 17th November, 2021

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/59.**—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely: —

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Third Amendment) Regulations, 2021.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008,
  - I. Schedule II, shall be substituted by the following, namely -

#### "Schedule II

- (1) The applicant or intermediary shall meet the criteria, as provided in the respective regulations applicable to such an applicant or intermediary including:
  - (a) the competence and capability in terms of infrastructure and manpower requirements; and
  - (b) the financial soundness, which includes meeting the net worth requirements.
- (2) The 'fit and proper person' criteria shall apply to the following persons:
  - (a) the applicant or the intermediary;
  - (b) the principal officer, the directors or managing partners, the compliance officer and the key management persons by whatever name called; and
  - (c) the promoters or persons holding controlling interest or persons exercising control over the applicant or intermediary, directly or indirectly:

Provided that in case of an unlisted applicant or intermediary, any person holding twenty percent or more voting rights, irrespective of whether they hold controlling interest or exercise control, shall be required to fulfill the 'fit and proper person' criteria.

**Explanation**— For the purpose of this sub-clause, the expressions "controlling interest" and "control" in case of an applicant or intermediary, shall be construed with reference to the respective regulations applicable to the applicant or intermediary.

- (3) For the purpose of determining as to whether any person is a 'fit and proper person', the Board may take into account any criteria as it deems fit, including but not limited to the following:
  - (a) integrity, honesty, ethical behaviour, reputation, fairness and character of the person;
  - (b) the person not incurring any of the following disqualifications:
    - (i) criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed against such person by the Board and which is pending;
    - (ii) charge sheet has been filed against such person by any enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
    - (iii) an order of restraint, prohibition or debarment has been passed against such person by the Board or any other regulatory authority or enforcement agency in any matter concerning securities laws or financial markets and such order is in force;
    - (iv) recovery proceedings have been initiated by the Board against such person and are pending;
    - (v) an order of conviction has been passed against such person by a court for any offence involving moral turpitude;

- (vi) any winding up proceedings have been initiated or an order for winding up has been passed against such person;
- (vii) such person has been declared insolvent and not discharged:
- (viii) such person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (ix) such person has been categorized as a wilful defaulter;
- (x) such person has been declared a fugitive economic offender; or
- (xi) any other disqualification as may be specified by the Board from time to time.
- (4) Where any person has been declared as not 'fit and proper person' by an order of the Board, such a person shall not be eligible to apply for any registration during the period provided in the said order or for a period of five years from the date of effect of the order, if no such period is specified in the order.
- (5) At the time of filing of an application for registration as an intermediary, if any notice to show cause has been issued for proceedings under these regulations or under section 11(4) or section 11B of the Act against the applicant or any other person referred in clause (2), then such an application shall not be considered for grant of registration for a period of one year from the date of issuance of such notice or until the conclusion of the proceedings, whichever is earlier.
- (6) Any disqualification of an associate or group entity of the applicant or intermediary of the nature as referred in sub-clause (b) of clause (3), shall not have any bearing on the 'fit and proper person' criteria of the applicant or intermediary unless the applicant or intermediary or any other person referred in clause (2), is also found to incur the same disqualification in the said matter:
  - Provided that if any person as referred in sub-clause (b) of clause (2) fails to satisfy the 'fit and proper person' criteria, the intermediary shall replace such person within thirty days from the date of such disqualification failing which the 'fit and proper person' criteria may be invoked against the intermediary:
  - Provided further that if any person as referred in sub-clause (c) of clause (2) fails to satisfy the 'fit and proper person' criteria, the intermediary shall ensure that such person does not exercise any voting rights and that such person divests their holding within six months from the date of such disqualification failing which the 'fit and proper person' criteria may be invoked against such intermediary.
- (7) The 'fit and proper person' criteria shall be applicable at the time of application of registration and during the continuity of registration and the intermediary shall ensure that the persons as referred in sub-clauses (b) and (c) of clause (2) comply with the 'fit and proper person' criteria."

AJAY TYAGI, Chairman [ADVT.-III/4/Exty./440/2021-22]

#### Footnote:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on:
  - a) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
  - b) July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.
  - c) January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification no. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
  - d) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.
  - e) November 21, 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.
  - f) April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

- g) January 21, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/07.
- h) May 5, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/20.
- i) August 3, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.